न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः– उम्मेदी लाल मीना, आर.ए.एस.

चुनाव अपील संख्या 30 वर्ष 2026

पालाराम पुत्र धनाराम जाति जाट निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ

–अपीलान्ट

बनाम

निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 16.02.2026 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र हनुमानगढ़ जिसके द्वारा अपीलान्ट द्वारा नियम 13 (3) राज पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत किया गया आवेदन खारिज किया गया अपील बाबत स्वीकार करने आवेदन।

उपस्थित :–

1. श्री देवदत्त भिडासरा , अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय

दिनांक 24.03.2026

प्रस्तुत अपील में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ग्राम पंचायत नौरंगदेसर का स्थाई निवासी है। अपीलांट की कृषि भूमि चक 11 एन.डी.आर. में स्थित है। अपीलांट के मत पत्र चक 11 एन.डी.आर. में बने हुए है। अपीलांट ने चक 11 एन.डी.आर. में अपने कृषि औजार रखने व कृषि भूमि में कार्य करने हेतु अपनी भूमि में ढाणी बन रखी है, परन्तु अपीलांट स्थाई रूप से गांव नौरंगदेसर में रह रहा है व गांव नौरंगदेसर में ही दुकान बना रखी हैं। अपीलांट ने दिनांक 02.02.2026 को ग्राम पंचायत मटोरिया वाली ढाणी के प्रगणक के समक्ष ग्राम पंचायत मटोरिया वाली ढाणी के वार्ड संख्या 8 की पंचायत निर्वाचक नामावली में अपना नाम हटवाने हेतु नियम 13 (3) के तहत आवेदन किया व दिनांक 02.02.26 को ही प्रगणक ने फॉर्म स्वीकार करके रसीद अपीलांट को दे दी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र वार्ड नं. 8, ग्राम पंचायत मटोरिया वाली ढाणी के प्रगणक ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़ को प्रेषित किया व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने अपीलांट को दिनांक 11.02.2026 को उक्त आवेदन पत्र पर सुनवाई हेतु नोटिस दिया। अपीलांट ने दिनांक 11.02.2026 को उपस्थित आकर नोटिस का जवाब मय दस्तावेज पेश किया व दिनांक 13.02.26 को सुनवाई के सम्बन्ध में जानकारी करने आया तो दिनांक 13.02.26 को ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज कर दिया । निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2026 पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों की बिना कोई जांच किये मनमाने रूप से पारित किया गया है। अपीलांट ने रेस्पोडेंट द्वारा जारी नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया था, जवाब के साथ अपीलांट ने निवास के संबंध राजकीय विद्यालय नौरंगदेसर द्वारा जारी टी.सी. व अपने वाहन की रजिस्ट्रेशन की कॉपी एवं नौरंगदेसर में कार्य करने व रहने के संबंध में किरायानामा एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये थे, जिसमें अपीलांट का स्थाई पता ग्राम पंचायत नौरंगदेसर का अंकित है, परन्तु रेस्पोडेंट ने उक्त तमाम दस्तावेजों को अनदेखा करके निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन निर्णय प्रगणक द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर पारित किया है, उक्त रिपोर्ट में प्रगणक द्वारा बिना कोई जांच किये निर्णय पारित किया है, केवलमात्र कृषि भूमि में कोई मकान बनाने मात्र से उसी पंचायत का मतदाता नहीं माना जा सकता। अपीलांट स्थाई रूप से ग्राम पंचायत नौरंगदेसर में रह रहा है व ग्राम पंचायत नौरंगदेसर में ही अपना मत बनवाने का अधिकारी है, इसलिये आदेश दिनांक 16.02.26 खारिज योग्य है। निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय प्रगणक द्वारा दिनांक 02.02.26 को यह रिपोर्ट की थी कि आवेदक ने स्वेच्छा से अपना नाम हटवाने के लिये आवेदन किया है व इसी रिपोर्ट पर रेस्पोडेंट ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया है, जबकि अपीलांट स्थाई रूप से ग्राम पंचायत नौरंगदेसर में रह रहा है व वहीं पर अपना मत बनवाना चाहता है, ग्राम पंचायत नौरंगदेसर में अपना मत बनवाने पर किसी की आपत्ति नहीं है। केवलमात्र पदाभिहित अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आवेदन खारिज किया है, प्रगणक की उक्त रिपोर्ट बिना कोई जांच किये की गई है। अपीलांट के आवेदन पत्र के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं हैं, इसलिये अपील स्वीकार योग्य है। अपीलांट स्थाई रूप से नौरंगदेसर पंचायत में रह रहा है, केवलमात्र कृषि भूमि में कोई मकान निर्माण करने से अपीलांट को ग्राम पंचायत मटोरिया वाली ढाणी का निवासी होना नहीं माना जा सकता। अपीलांट ने रेस्पोडेंट के समक्ष दिये गये जबाब नोटिस के साथ ग्राम

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पंचायत नौरंगदेसर के प्रशासक द्वारा दिया गया प्रमाण–पत्र व अन्य दस्तावेज पेश किये थे, जिसमें यह पूर्णतया साबित था कि अपीलांट ग्राम नौरंगदेसर का स्थाई निवासी है पर रेस्पोडेंट ने बिना किसी आधार के मनमाने रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध पारित किया है। लिहाजा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.02.2026 अपास्त किया जाकर अपीलांट का वोट ग्राम पंचायत मटोरिया वाली ढाणी के वार्ड नं. 8 से हटाकर ग्राम पंचायत नौरंगदेसर में बनाया जावे, श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

चुनाव अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट की और से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.02.2026 अपास्त किया जाकर अपीलांट का वोट ग्राम पंचायत मटोरिया वाली ढाणी के वार्ड नं. 8 से हटाकर ग्राम पंचायत नौरंगदेसर में बनाया जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के कथन को दोहराते हुए कथन किया की अपीलांट द्वारा 11 एनडीआर में स्थायी रूप से निवास किया जा रहा है जो कि पूर्व में ग्राम पंचायत नौरंदेसर के अन्तर्गत थी परन्तु परिसीमन के फलस्वरूप उक्त भाग ग्राम पंचायत मटोरिया वाली ढाणी में विलय हो जाने से उक्त स्थान अब ग्राम पंचायत मटोरियां वाली ढाणी का भाग है। कार्यालय हाजा द्वारा पारित निर्णय साक्ष्य / सबूतों, जॉच रिपोर्ट के आधार पर ही किया गया है। उक्तानुसार उचित जांच पश्चात ही निर्णय पारित किया गया है। प्रगणक द्वारा उचित जाँच पश्चात उक्त टिप्पणी की गई है। अपीलांट का स्थायी निवास 11 एन डी आर में होने एवं पंचायत परिसीमन के फलस्वरूप उक्त स्थान का विलय ग्राम पंचायत मटोरिया वाली ढाणी में होने के कारण अपीलाट का वोट मटोरिया वाली ढाणी में रखा गया है। परिसीमन पूर्व अपीलांट का मकान ग्राम पंचायत नौरंगदेसर में होने के कारण अपीलांट के मूल दस्तावेजों में पता ग्राम पंचायत नौरंगदेसर का अंकित है, जो कि परिसीमन पश्चात मटोरिया वाली ढाणी में होने के कारण अपीलांट का वोट मटोरिया वाली ढाणी में रखा गया है। अतः उक्त दस्तावेजों पर अंकित पते को आधार मान कर अपीलांट का वोट नौरंगदेसर में रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता। इस प्रकार अपीलाट द्वारा अपील अन्तर्गत नियम–21, राजस्थान पंचायत नियम 1994 अपील न. 30/2026 पालाराम पुत्र धनाराम बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़ प्रकरण में पूर्णरूपेन सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं प्राप्त साक्ष्य / सबूतों व जाँच रिपोर्ट का अवलोकन करने के उपरांत ही प्रकरण का निस्तारण किया गया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों अवलोकन किया गया।

1. अपीलान्ट द्वारा नियम 13(3) राज पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के तहत किया गया आवेदन अधीनस्थ न्यायलय द्वारा दिनांक 16.02.2026 को खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का स्थायी निवास 11 एन डी आर में होने एवं पंचायत परिसीमन के फलस्वरूप उक्त स्थान का विलय ग्राम पंचायत मटोरिया वाली ढाणी में होने के कारण अपीलाट का वोट मटोरिया वाली ढाणी में रखा गया है।
2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज परिसीमन से पूर्व के है, परिसीमन उपरांत उक्त दस्तावेजों को वरीयता नहीं दी जा सकती।

अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़